धारा-113. समितियों के वर्ग को छूट देने का अधिकार- 1[* * *]

टिप्पणी

धारा 113 राज्य सरकार की किसी सहकारी समिति को इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों से छूट देने की शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा उसको यह शक्ति भी प्राप्त है िक इस प्रकार के उपबन्ध ऐसी समिति पर उन परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, जिन्हे विहित किया जाये। अतः इस धारा के अधीन राज्य सरकार को अधिनियम के उपबन्धों को बदलने तथा ऐसे परिवर्तित उपबन्धों को इस प्रकार की समितियों पर लागू करने को शक्ति प्राप्त है। इस धारा को क्षेत्र अति विस्तृत है। यह राज्य सरकार को प्रशासक की नियुक्ति करने के लिये तथा उससे अपनी नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर प्रबन्ध परिषद के निर्वाचन की अपेक्षा करने के लिए सशक्त करती है।